छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | एकादश सत्र | अंक-02

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2012

(अग्रहायण-21, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. पृच्छा

माननीय सदस्य के साथ अधिकारी द्वारा असम्मानजनक व्यवहार किया जाना

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री सौरभ सिंह का नाम प्रश्न करने हेतु पुकारा गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य को उनके साथ हुए असम्मानजनक व्यवहार पर अपनी बात रखने का अवसर दें।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया एवं प्रश्नकाल के समाप्त होने के पश्चात् माननीय सदस्य सदन को अपनी भावना से अवगत करायें।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को अपनी बात रखने की अनुमति दी।

श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की गईं। डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया कि विधायकों का सम्मान सर्वोपरि है, वे रिपोर्ट बुलाकर परीक्षण करवाऐंगे।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 8 तारांकित एवं 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष्ज्ञ के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

4. जुलाई, 2012 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जुलाई, 2012 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2012 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-30-क की अपेक्षानुसार, तृतीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2011 सत्र में पारित 13 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर

माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा जुलाई, 2012 सत्र में पारित 7 विधेयकों में से 5 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

वित्तीय कार्य		**समय**
1. वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	-	03 घंटे

शासकीय विधि विषयक कार्य		
1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012	-	01 घंटा
2. छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2012	-	40 मिनट
3. छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2012	-	10 मिनट
4. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012	-	30 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

8.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(4) श्री देवजी पटेल

(5) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(6) श्री ताम्रध्वज साहू

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 3 में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर, 2012 को (2 दिन) MGM Eye Institute, Raipur द्वारा नि:शुल्क "नेत्र परीक्षण शिविर" का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लेवें।

10. औचित्य का प्रश्न

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी का ध्यान कौल एवं शकधर की संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करते हुए औचित्य का प्रश्न उठाया कि विधेयकों की भांति केवल वही संकल्प सरकारी कार्य के लिये निर्धारित समय में लिये जाते हैं । जिस प्रकार विधेयकों की चर्चा के लिये कार्यमंत्रणा समिति में जब तक प्रस्ताव नहीं आयेगा तब तक चर्चा नहीं हो सकती । इसलिये जो शासकीय संकल्प कार्यसूची में जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्यमंत्री ने कथन किया कि सामान्यत: कार्यसूची के ऊपर चर्चा नहीं की जाती है। नियमों के अंतर्गत शासकीय समय में मंत्री संकल्प प्रस्तुत कर सकता है ।

11. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :- कार्य मंत्रणा समिति में विधेयकों के लिए केवल समय निर्धारित होता है। संकल्प तो नियमों के अंतर्गत ग्राह्य किये जाते हैं। शासकीय संकल्प को नियमों के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है और इसकी सूचना भी दिनांक 11.12.2012 को पत्रक द्वारा समस्त सदस्यों को परिवहित कर दी गई है। शासकीय समय में संकल्प को नियमों के अंतर्गत लिया गया है।

12. पृच्छा

प्रदेश में शिक्षा कर्मियों की हड़ताल संबधी स्थगन प्रस्ताव

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश में शिक्षा कर्मियों की चल रही हड़ताल के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने उक्त विषय स्थगन के योग्य न होने के कारण स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया एवं ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री नदंकुमार पटेल, सदस्य का नाम पुकारा । प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.31 बजे स्थगित की जाकर 12.43 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु पुनः श्री नदंकुमार पटेल, सदस्य का नाम पुकारा गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किये जाने की मांग करते हुए निरंतर नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी बातें रखने का अवसर दिया, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया गया है, उसका विनिश्चयन हो गया है। इस विषय पर चर्चा कराने के लिए दूसरी सूचना पर विचार किया जा सकता है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई । माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया एवं श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य का नाम ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु पुकारा।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारे लगाए गए एवं पर्चे लहराए गए। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सदन में पर्चे/पोस्टर लहराना असंसदीय परंपरा है। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.54 बजे स्थगित की जाकर 3.04 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

13. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि गुरूवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सदस्यों के लाभार्थ राजयोगिनी ब्रम्हाकुमारी शिवानी दीदी एवं भ्राता सुरेश ओबेराय, का "सफल राजनीतिक जीवन हेतु सुगम मेडिटेशन" विषय पर केन्द्रित उद्बोधन का कार्यक्रम अपराह्न 3.00 बजे विधानसभा परिसर स्थित डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में आयोजित है। आयोजन में सभी माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं।

14. पृच्छा

प्रदेश में शिक्षा कर्मियों की हड़ताल संबधी स्थगन प्रस्ताव

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः नारेबाजी की गई।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने पुनः स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 3.12 बजे स्थगित की जाकर 3.38 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

15. वक्तव्य

श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री ने शिक्षा कर्मियों की हड़ताल के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधी वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः नारेबाजी की गई।

16. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, लेखराम साहू, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं की गई)

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं की गई)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण अपराह्न 3.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनाँक 13 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण, 22 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा